(34)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3-1326/दस-82-2 (41)-77-मो0 स0

लखनऊ, दिनांक 4 मई, 1982

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारी को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-4326/दस-81-2 (41)-77-मो0 स0, दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 के परा 2 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि मोटरकार/ मोटर साइकिल/स्कूटर तथा बाइसायकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1981-82 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अंतिम रुप से निम्न प्रकार होंगी:--

(1) मोटर कार अग्रिम	..	12 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।
(2) मोटर साइकिल/स्कूटर (3) बाइसायकिल	..	11 प्रतिशत प्रतिवर्ष

किन्तु नियत समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष छूट दी जायेगी।

डी0 एन0 दवे
उप सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी-3-1326 (1)/दस-82-2 (41)-77मो0 स0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) विधान सभा सचिवालय।
(4) विधान परिषद्, सचिवालय।
(5) राज्यपाल का सचिवालय।
(6) निबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

डी0 एन0 दवे,
उप सचिव।